# यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 59 /19 तारीखरजू:- 28.8.19

उनवानः– राधेश्याम आदि बनाम रमेश वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

| दिनांक | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| 28.8.19 | प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 16.09.2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 119/0.14, 304/0.12, 307/0.12 ग्राम कुढावल तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी तक निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है।<br><br>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.09.2019 को पेश हो।<br><br>उप जिला कलक्टर<br>टोडाभीम जिला करौली | 4340-42.<br>28-8-19 |
| 16.9.19 | प्रार्थी वकील उप.। अप्रार्थीयो की ओरसे श्री मदनमोहन शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने दिनांक 10.10.19 को पेश हो। | |

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|---|---|
| 10.10.19 | वकुलाय उप०। जवाब पेश करने दिनांक 7.11.19 को पेश हो। |
| 7.11.19 | वकुलाय उप०। जवाब पेश करने दिनांक 4.12.19 को पेश हो। |
| 4.12.19 | वकुलाय उप०। जवाब पेश करने पुनः एक मौका और चाहा। सुनकर दलील एक मौका दिया जाता है जवाब पेश करने दिनांक 9.1.20 को पेश हो। |
| 9.1.20 | वकुलाय अशिक्षित/पीठासीन अधिकारी चुनाव ड्यूटी में पधारे है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 24.2.20 को पेश हो। |
| 24.2.20 | ~~वादी वकील~~/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे प्र.प्र.ग्रा. पर पत्रावली गतानुसार दिनांक 18.3.20 को पेश हो। पुनश्च: अप्रार्थी वकील ने जवाब पेश किया। शामिल किया। जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई। पी०ओ० दौरे पर पधारे हैं आइन्दा दिनांक 6.3.20 को पेश हो। |
| 6.3.20 | वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 16.3.20 को पेश हो। |
| 16.3.20 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। वकील सायलान व गैरसायलान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद बाबत तकाश्मा आराजियात प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। मूल वाद के निस्तारण तक दिनांक 28-8-19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई |

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

| क | फर्द अहकाम | |
|---|---|---|
| | निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूँ। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कुढ़ावल की भूमि खसरा नम्बर 119/0.14, 304/0.12, 307/0.12 में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 16.3.20 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। | |
| | (दुर्गाप्रसाद मीना)<br>उपजिला कलक्टर<br>टोडाभीम (करौली) | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.07.30 11:49:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: